अध्याय X: खान मंत्रालय

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

10.1 रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान

खेतड़ी खान जहां पट्टा क्षेत्र के अन्दर खनिज प्रसंस्करण किया गया, के संदर्भ में, कम्पनी ने मेटल-इन-कंसन्ट्रेट के बजाय मेटल-इन-ऑर पर रॉयल्टी का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.97 करोड़ रॉयल्टी का अतिरक्त भुगतान हुआ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) की खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स, राजस्थान में स्थित इसके खेतड़ी खान पट्टा क्षेत्र में एक कन्संट्रेट प्लांट के साथ एक कॉपर खान है। अयस्क खानों से निकाला जाता है तथा इसे संसाधित खनिज (मेटल-इन-कंसन्ट्रेट) उत्पादित करने के लिए कंसन्ट्रेट प्लांट में परिष्कृत किया जाता है। स्मेल्टर तथा रिफाइनरी में ऐसे कन्संट्रेट के परिष्कृत होने के पश्चात्, कॉपर निकाला जाता है। खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधान* के अनुसार, यदि खनिज को अनुबंधित क्षेत्र के अन्दर परिष्कृत किया जाता है, तो पट्टा क्षेत्र से हटाए गए परिष्कृत खनिज पर रॉयल्टी प्रभार्य है। तथापि, कम्पनी मेटल-इन-कन्संट्रेट पर नहीं अपितु इसकी खेतड़ी खान से निकाले अयस्क में विद्यमान धातु के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान हुआ क्योंकि अयस्क में विद्यमान धातु की मात्रा उस मेटल-इन-कन्संट्रेट से अधिक है।

रायॅल्टी के ऐसे अतिरिक्त भुगतान को लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी 2013 में बताया गया। कम्पनी ने मार्च 2013 के बाद से सुधारात्मक उपाय किए तथा परिष्कृत खनिज (मेटल-इन-कन्संट्रेट) पर रॉयल्टी का भुगतान अब किया जा रहा है। इसी बीच में, कम्पनी ने अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 की समयावधि के दौरान अपनी खेतड़ी खान से 3887776 एमटी अयस्क उत्पादित किया तथा 33302 एमटी के मेटल-इन-कंसन्ट्रेट के बजाय अयस्क में विद्यमान 37297 एमटी मेटल पर आधारित ₹ 45.56 करोड़ की रॉयल्टी का

** खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 (बी) का खण्ड I (26.07.2012 को संशोधित के अनुसार)*

भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 4.97 करोड़ राशि की रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

कम्पनी ने कहा (अक्तूबर 2013) कि अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 के दौरान, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्याए जीएसआर 713(ई) दिनांक 12 सितम्बर 2000 एवं संख्या जीएसआर 574 (ए) दिनांक 13 अगस्त 2009 के अनुसार, उत्पादित अयस्क में कॉपर पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है तथा रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ।

तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 12 सितम्बर 2000 तथा 13 अगस्त 2009 की राजपत्र अधिसूचनाएं रॉयल्टी की दरों से संबंधित थी जबकि लेखापरीक्षा अवलोकन खनिज जो प्रसंस्करण को अधीन है, हेतु रॉयल्टी लेने से संबंधित है। खनिज रियायत नियमावली, 1960 का नियम 64बी स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि यदि अयस्क का प्रसंस्करण पट्टा क्षेत्र में किया जाए, तो रॉयल्टी केवल संसाधित खनिज पर प्रभार्य हो। लेखापरीक्षा में रॉयल्टी के अतिरिक्त भुगतान को फरवरी 2013 में बताया गया। कम्पनी ने मार्च 2013 के बाद से सुधारात्मक उपाय किए। इस प्रकार, कम्पनी ने अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 की समयावधि के दौरान अपनी खेतड़ी खान के लिए ₹ 4.97 करोड़ की राशि की रॉयल्टी का अतिरिक्त भुगतान किया।

मंत्रालय को यह मामला नवम्बर 2013 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।